THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAVA): (a) to (c). The post was not advertised in the press. According to the functional requirements and importance of the post, the incumbent of the post has to be an experienced Educationist-cum-Administrator. As a person of the required back-ground, experience and qualifications may not ordinarily respond to advertisements, recommendations from the Education Departments of State Governments, Education Departments of bigger Union Territories, as also the National Council for Educational Research and Training were invited for filling up of the post on the last occasion. The post was also circulated amongst the Officers of the Union Ministry of Education and Youth Services. In all 22 persons were recommended. A four member Selection Committee, with the then Minister of State, who was also the Chairman of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, as Chairman was formed to suggest a panel of names from out of the aforesaid 22 persons. Out of five persons recommended by the Selection Committee, the Minister of Education and Youth Services considered Miss. A. Chari of the National Council of Educational and Research Training to be the best available candidate. Accordingly her name was proposed for appointment to the Appointments Committee of the Cabinet and approved by it.

Scheme to Illuminate Golgumbaz of Bijapur in Mysore State

3720. SHRI B. E. CHOUDHARY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to have illumination of Golgumbaz of Bijapur in Mysore State to enhance the glory of the monument and to attract tourists;

(b) whether Government have a scheme to establish a hotelethora in public sector to provide facilities to the foreign tourists;

(c) whether Government are aware that there was a scheme to have an aerodrome to facilitate tourists visiting Golgumbaz and the survey of the same was completed; and

(d) if so, the steps taken by Government in implementing the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) No, Sir.

(b) No, Sir, as the India Tourism Development Corporation already operate a Travellers Lodge at Bijapur.

(c) and (d). Yes, Sir, though due to other Plan priorities, the work on this aerodrome is not being taken up during the Fourth Plan.

हरिजनों हेतु गृह निर्माण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

3721. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हरिजनों के लिये गृह-निर्माण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी सहायता दी गई;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा हरिजनों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया; और

(घ) किन किन राज्यों ने इस उद्देश्य के लिये की गई सहायता की पूरी रकम का उपयोग किया और अन्य राज्यों द्वारा दी गई सहायता का उपयोग न करने के क्या कारण है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना दो वर्गों के अन्तर्गत आती है, अर्थात् (1) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना

तथा (2) केन्द्र से सहायता पाने वाली योजना।

पहले वर्ग के अन्तर्गत हरिजनो के लिए कोई स्वतन्त्र आवास योजना नहीं है, परन्तु गन्दे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की रहने सहने और काम करने की स्थिति में सुधार की मिली जुली योजना है। इस मिली जुली योजना में निम्नलिखित दो योजनाएं शामिल हैं :-

(1) मेहतरो और संमार्जकों, टेनर्स और फ्लेयर्स के लिए मकानों के निर्माण के लिए उपदान; तथा

(2) अनुसूचित जातियों के उन लोगो के लिए गृह-स्थलो की व्यवस्था, जो (1) गंदे व्यवसायो में लगे है अथवा (2) भूमिहीन मजदूर है।

उक्त मिली जुली योजना के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षो में (1968-69 से 1970-71 तक) प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की धन राशियां और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्य सभा पटल पर रखे गए विवरण-I में दिये गए हैं। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71]

इन योजनाओं पर, जिनमें राज्य क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाएं शामिल हैं, हुआ खर्च 1968-69 तक केन्द्रीय और राज्य सरकारों को 60:40 आधार पर बांटा जाता था। वर्ष 1969-70 से राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है।

1968-69 में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजना के सम्बन्ध में किया गया खर्च तथा प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्य सभा पलट पर रख गये विवरण-II में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71] 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में इस योजना के लिए किए गए आवंटन सभा पटल पर रखे गए विवरण-III में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71]

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन आवास के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई विशिष्ट राशि नहीं दी गई है, क्योंकि यह मिली जुली योजना है। राज्य क्षेत्र के अधीन 1968-69 के दौरान कमियों के कारण अनुबन्ध दो मे दिए गए है। 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी अब तक उपलब्ध नही है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

3722. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा भारत को कितनी सहायता दी गई है;

(ख) उक्त राशि को किन किन कार्यक्रमों पर खर्च किया गया ;

(ग) प्रत्येक राज्य को उक्त सहायता का किस आधार पर नियतन किया जाना है; और

(घ) मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता उपकरणों और प्रभरण के रूप में होती है। 1970-71 में भारत के लिए यह 75 लाख, 81 हजार डालर की थी, जिनका उपयोग निम्नलिखित वर्गों के अधीन कार्यक्रमों/परियोजनाओं में किया जाना था